पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

सम्मेलन के आह्वान की प्रतिलिपि

5 फरवरी, 2014

परिनियामक : देवियो और सज्जनो, आप सभी का आनंद राठी रिसर्च द्वारा आयोजित पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के क्यू3 एफवाई 14 अर्जन सम्मेलन के आह्वान पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपको सूचनार्थ बता दूं कि सभी प्रतिभागियों की लाइंस केवल श्रवण अवस्था में होगी। आप सभी को प्रस्तुति की समाप्ति पर प्रश्न पूछने का मौका दिया जाएगा। अगर आपको इस सम्मेलन के आह्वान के दौरान किसी तरह की सहायता की जरूरत पड़े तो आप अपने टचफोन पर पहले ''*'' और उसके बाद ''डी'' दबाकर अपने ऑपरेटर को संकेत दें। कृपया यह नोट करें कि इस सम्मेलन को रिकार्ड किया जा रहा है। अब मैं यह सम्मेलन आनंद राठी से श्री कैतव शाह को सुपुर्द करता हूं। धन्यवाद और श्री शाह कृपया आगे आएं।

कैतव शाह : परिनियामक को धन्यवाद। सर्वप्रथम, मैं सभी प्रतिभागियों का पुन: हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमें श्री एम.के. गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री नागराजन, निदेशक (वित्त) के नेतृत्व में पावर फाइनैंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के सर्वोच्च प्रबंधन का अभिनंदन करने का सम्मान प्राप्त हुआ है। हम परिणाम के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे और तब प्रश्नोत्तर सत्र होगा। महोदय, कृपया आप आएं।

एम.के. गोयल: आप सभी को नमस्कार। मुझे तिमाही 3, वित्त वर्ष 14 के हमारे वित्तीय परिणामों की चर्चा करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

सम्मेलन के आह्वान की प्रतिलिपि

5 फरवरी, 2014

मुझे विश्वास है कि आप सभी परिणामों से अवगत होंगे जिसे कल शाम में ही घोषित किया गया है।

इस तिमाही में परिसंपत्ति विकास और बेहतर लाभ के कारण अच्छा लाभ हुआ है। हमने इस तिमाही में कोई नया एनपीए शामिल नहीं किया है और अपने एनपीए को न्यूनतम स्तर पर बनाए रखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार हमने 88% का सर्वोच्च लाभांश घोषित किया है, जो पिछली बार से डेढ़ गुणा अधिक है। हमने पिछले साल घोषित किए गए लाभांश पर 50% अंतरिम लाभांश की बढ़ोतरी की है। इस तिमाही में हमारे ऋण की मंजूरी में अच्छी खासी वृद्धि देखी गई है, अर्थात कुल लगभग 24,600 करोड़ रुपए, जिसमें पिछले वर्ष के दौरान की इस तिमाही की तुलना में 36% की वृद्धि है।

संख्याओं के संबंध में, हमने परिसंपत्तियों में 20% की वृद्धि दर्शाई है। यह लगभग 1,48,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,77,500 करोड़ रुपए हो गई है। इसी तरह तीसरी तिमाही में हमारी आय 24% बढ़ी है, जो 4,466 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,547 करोड़ रुपए हो गई है। ब्याज का प्रसार 3.08% से बढ़कर 3.44% अर्थात 36 बीपीएस हो गया है। ऐसा उधार की कम लागत, पिछली अवधि के दौरान प्राप्ति की तुलना में उच्चतर दर पर नए वितरण और उच्चतर दर पर हमारी मौजूदा ऋण परिसंपत्तियों के पुन: निर्धारण के कारण हुआ है।

इसी तरह, तिमाही में हमारी सकल ब्याज आय 29% है, जो 1,677 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,161 करोड़ रुपए हो गई है। इसके परिणामस्वरूप इस तिमाही में कर पश्चात हमारा लाभ 37% अर्थात 1,117 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,534 करोड़ रुपए हो गया है। एनपीए के संबंध में, जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमने इस तिमाही में कोई नया एनपीए नहीं शामिल किया। वास्तव में हमारा सकल एनपीए पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 0.92% से इस वर्ष की तिमाही में 0.65% रह गया है और इसी तरह निवल एनपीए 0.82% से कम होकर 0.52% रह गया है। अभी-अभी समाप्त हुई पिछली तिमाही की तुलना में हमारा सकल एनपीए 30 सितंबर, 2013 तक 0.67% से थोड़ा सा घटाकर 0.65% रह गया है। इसी तरह हमारा शुद्ध एनपीए भी 0.541 से घटकर 0.52% रह गया है। हमारी पूंजी उपलब्धता अनुपात, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित स्तर 15% के मुकाबले 31 दिसंबर, 2013 को 18.86% पर था।

अब हमारे व्यवसाय के निष्पादन को लें, हमारी संस्तुति वर्ष 2014 की तीसरी तिमाही के दौरान 36% अर्थात 18,44 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 24,630 करोड़ रुपए हो गई है, जिसमें संक्रमणकालीन ऋण भी शामिल है। वित्त वर्ष 2014 के 9 महीने के दौरान, हमारी संस्तुति लगभग 52,054 करोड़ रुपए थी, जो वित्त वर्ष 2014 के संस्तुति लक्ष्य 59,000 करोड़ रुपए की 88% थी। पुन: हमारे पास लगभग 1,72,000 करोड़ रुपए

की बाकी संस्तुति है, जो वित्त वर्ष 2013 के संवितरण से लगभग चार गुणा है।

इस तिमाही के संवितरण के संबंध में, हमने 12,215 करोड़ रुपए का संवतिरण किया है, जो पिछले वर्षके 12,621 करोड़ रुपए के संवितरण के बराबर है। तथापि, यदि हम संक्रमणकालीन ऋण को हटा दें, जिन्हें किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए संवितरित किया जाता है, तुलनात्मक संवितरण तिमाही के दौरान 31% बढ़कर अर्थात 6,570 करोड़ रुपए से 8,545 करोड़ रुपए हो गया है और वित्तवर्ष 2014 के 9 महीने के दौरान यदि हम इन संवितरणों को संक्रमणकालीन ऋण से हटाकर देखतेहैं तो वित्त वर्ष 2013 के 9 महीनों की तुलना में यह 9% बढ़ा है। जहां तक वित्त वर्ष 2014 के संवितरण का संबंध है, हमने वित्त वर्ष 2014 के 9 महीनों के दौरान 30,277 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं, जो वित्त वर्ष 2014के लक्ष्य का लगभग 64% है।

जहां तक संसाधन जुटाने का संबंध है, हमने 31 दिसंबर, 2013 तक 26,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं (जिसमें 25,000 करोड़रुपए के करमुक्त बांड भी शामिल हैं) और वह भी 8.79% के न्यूनतम लागत पर।

जैसाकि मैंने तिमाही की संख्याओं को उद्धृत किया है, मैं वित्त वर्ष 2013 की तीसरी तिमाही की तुलना वित्त वर्ष 2014 की तीसरी तिमाही से करता हूं।

कर-पश्चात लाभ में 28% की वृद्धि, अर्थात यह 3,125 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,006 करोड़ रुपए हो गया है। आय में 26% की वृद्धि हुई है, जो 12,602 करोड़ रुपए से बढ़कर 15,901 करोड़ रुपए हो गई है। शुद्ध ब्याज आय में 37% की वृद्धि हुई है, अर्थात यह 4,546 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,214 करोड़ रुपए हो गई है। प्रसार 62 बीपीएस अर्थात 2.82% से बढ़कर 3.44% हो गया है। एनआईएम में 55 बीपीएस की वृद्धि हुई, जो 4.36% से बढ़कर 4.91 प्रतिशत हो गया है।

यह सब कंपनी की वित्तीय स्थिति के संबंध में था।

अब मैं आपसे ऊर्जा क्षेत्र में सकारात्मक सुधार के बारे में बताउंगा। सर्वप्रथम विद्युत शुल्क में संशोधन से संबंधित 29 राज्यों में से 26 राज्यों ने वित्त वर्ष 2013-2014 के दौरान विद्युत शुल्क के लिए आदेश जारी किया और इसमें 31% तक की अधिकतम वृद्धि की। इस बिंदु पर मैं आपकी उस चिंता के संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहूंगा, जो आपने समाचारपत्रों में पढ़ने के बाद सोचा होगा कि हाल ही में कुछ राज्यों जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा ने उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों के लिए शुल्क में कमी की घोषणा की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा राज्य सरकार द्वारा पूरीतरह सरकारी सहायता के आधार पर किया गया है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के अनुसार, यदि राज्य सरकार उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों को सब्सिडी देना चाहती है तो राज्यों को वह अतिरिक्त

सहायता राशि डिस्कॉम को देनी होती है। जो भी राज्य ऐसी सब्सिडी देना चाहेगा, उसे यही करना होगा। पुन: हरियाणा जैसे राज्य में, जो केंद्र सरकार की एफआरपी योजना का हिस्सा है, उन्हें नए संशोधित पैकेज के कुछ निश्चित दिशानिर्देशों, अनुबंधों और शर्तोंका पालन करना होता है और उन्हें शुल्क में कमी की घोाणा करने से पहले अतिरिक्त सहायता की राशि का भुगतान करना होता है।

इसके अलावा, उन्हें अपने विधानसभा में आदर्श राज्य वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक लाकर उसे पास कराना होता है। यह एफआरपी पैकेज के लिए जरूरी है और यह उत्तरदायित्व ऊपरी अनुदान भुगतान को भी जरूरी बना देगा। इसके अलावा, डिस्कॉम के निर्धारण के सालाना प्रयोग में ऊपरी सहायता के भुगतान को नहीं करने पर विचार होता है जिससे कि न केवल डिस्कॉम का निर्धारण दुष्प्रभावित होता है बल्कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से डिस्कॉम को निधि प्राप्त होने में मुश्किल भी आती है क्योंकि इस निर्धारण पर बैंक और वित्तीय संस्थान निधि प्रदान करते समय विचार करते हैं।

और यह भी कि हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र ने वित्त वर्ष 2013-14 के लिए पहले से ही शुल्क आदेश जारी कर दिया है, जिसमें 5% से 13% के बीच शुल्क में वृद्धि की गई है। इसके अलावा, डीईआरसी ने हाल ही में ऊर्जा खरीद के लागत समाशोधन (पीपीएसी) की मद में दिल्ली डिस्कॉम के लिए 6%

से 8% की श्रेणी में अधिभार में वृद्धि की है, जो फरवरी, 2014 से प्रभावी है। इन प्रेक्षणों के आधार पर मेरा यह मानना है कि राज्यों द्वारा शुल्क में कमी की हाल ही में की गई घोषणा से केंद्र सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में किए जा रहे सुधार कार्यों पर जैसा माना जा रहा है, किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भारत सरकार ने अक्तूबर 2012 में राज्य डिस्कॉम की खराब वित्तीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुए एफआरपी योजना को अधिसूचित किया और वर्तमान स्थिति यह है कि चार राज्यों, अर्थात उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और तमिनाडु ने पहले ही एफआरपी योजना का कार्यान्वयन कर दियाहै और 95,000 करोड़ रुपए की राशि के बदले राज्य द्वारा 46,700 करोड़ रुपए का बांड राज्य द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु, राजस्थान और हरियाणा में विद्युत आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। हरियाणा, राजस्थान दोनों के पास अब अतिरिक्त बिजली है और अब उन्हें बाजार से एकदम बिजली नहीं खरीदनी होती है।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और तमिलनाडु के डिस्कॉमों को नकद हानि की सीमा 64% से घटकर 42% रह गई है और ये सभी राज्य अपफ्रंट सब्सिडी मासिक आधार पर दे रहे हैं। इन चार राज्योंमें एफआरपी पैकेज के क्रियान्वयन के बाद हमें यह परिवर्तन देखने को मिल रहा है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने हाल ही में तीन राज्यों के दूसरे समूह के लिए विशेष व्यवस्था की है, इसमें झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश को 31 मार्च,2014 तक का समय दिया गया है ताकि वे अपने एफआरपी को अंतिम रूप दे सकें। झारखंड के मामले में, राज्य सरकार ने पहले ही एफआरपी को अनुमोदित करके ऊर्जा मंत्रालय को भेज दिया है और शेष दो राज्यों में डिस्कॉम संबंधित राज्य सरकारों से अपने एफआरपी को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।

आर-एपीडीआरपी केंद्रीय क्षेत्र की दूसरी महत्वपूर्ण योजना है। यह वितरण क्षेत्र में एटीएंडसी नुकसान की कमी के लिए भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इस योजना की अच्छी प्रगति हो रही है और भाग ए और भाग बी के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं के लिए 37,200 करोड़ रुपए की संपूर्ण संस्वीकृति को स्वीकृत कर दिया गया है, जिसमें से 7,143 करोड़ रुपए पहले ही वितरित कर दिए गए हैं। आर-एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत कुल 1400 शहरों में से, 460 शहरों को पहले से ही वितरण प्रणाली की आईटी सक्षमता की योजना के भाग ए के अंतर्गत दृश्य घोषित किया जा चुका है। इसका अर्थ है कि इन सभी शहरों के लिए आनलाइन दृश्य डेटा उपलब्ध हैं और ऊर्जा लेखा रिपोर्टवितरण ट्रांसफार्मर स्तर तक ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जो इन शहरों की वितरण प्रणाली की हानियों का पता लगाएगा और जहां उनकी हानियों को कम करने के उपाय किए जा सकते हैं। इन 460 शहरों में से, चार राज्यों के लगभग 95

शहरों में, जहां इन शहरों को दृश्य घोषित किया जा चुका है, राज्यों ने अपनी एटीएंडसी हानियों में 20% से 2% तक की कमी की है और ऐसा बिना किसी तकनीकी हस्तक्षेप के सिर्फ प्रशासनिक उपायों से ही संभव हो पाया है।

इसके अलावा, 20,000 करोड़ रुपए की कुल जरूरत में से 14,700 करोड़ रुपए की प्रतिरूप निधि पहले ही प्राप्त हो चुकी है। इस तरह यह दूसरी योजना है, जो अच्छी तरह से चल रही है और वितरण क्षेत्र के सुधार में सहयोगी होगी।

भारत सरकार का दूसरा प्रयास अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है, जो काफी अच्छी तरह चल रहा है, विशेषकर मानक बोली दस्तावेजों के संशोधन के बाद। सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन जिससे आप परिचित हैं, संशोधित बोली दस्तावेज है, जो ईंधन की लागत को व्यावहारिक बनाता है। ओडिशा और चेय्युर नाम के दो यूएमपीपी के संशोधित बोली दस्तावेज़ पर आधारित बोली में अपेक्षित आरएफपी के संबंध में देखने को मिले।

ओडिशा यूएमपीपी को 9 आवेदन प्राप्त हुए और चेय्युर यूएमपीपी को 8 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें कुल 10 कंपनियों का प्रतिनिधित्व था और ये सभी 10 कंपनियां ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी और गंभीर भूमिका वाली हैं। दोनों यूएमपीपी के लिए सभी आरएफक्यू आवेदन सफल पाए गए, प्रत्येक यूएमपीपी के लिए 5 आरएफपी की खरीद हुई और आरएफपी को स्वीकार करने

की अंतिम तिथि 26.02.2014 है। पुन: 9 और यूएमपीपी विकास के विभिन्न चरणों में प्रगति में हैं।

वितरण क्षेत्र की दूसरी महत्वपूर्ण योजना, जिसे भारत सरकार कार्यान्वित कर रही है, वह राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना है। यह एक ब्याज सब्सिडी योजना है, जिसका उद्देश्य वितरण क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना है। इसे सुधार उपायों के साथ जोड़कर ब्याज सब्सिडी मुहैया करना है। राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) के अंतर्गत लगभग 17,000 करोड़ रुपए का कर्ज 14 राज्यों में फैले हुए 23 डिस्कॉम के लिए संस्वीकृत किया गया है। 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इसका शीघ्र ही संस्वीकृत किए जाने की संभावना है।

ईंधन से संबंधित मुद्दों के संबंध में, 78,000 मेगा वाट के लिए कुल 172 एफएसए, 72,000 मेगा वाट के लिए 157 एफएसए पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं और 6,000 मेगा वाट के लिए शेष 15 एफएसए का हस्ताक्षर पर समाधान हो चुका है। यह केवल समय और प्रक्रिया का विषय है और इन एफएसए पर अभी से किसी भी समय में हस्ताक्षर हो सकते हैं। यह मार्च, 2015 तक कमीशन होने वाले या जिनकी कमीशन होने की संभावना है, ऐसी पीढ़ी की सभी परियोजनाओं को कवर करेगा। इसलिए, हम मार्च 2015 तक कमीशन दिए जाने वाले सभी

यूनिटों के ईंधन के संबंध में किसी मुद्दे पर पूर्वानुमान नहीं लगा सकते।

कोयले की आपूर्ति में तीसरे पक्ष का प्रतिचयन ऊर्जा उत्पादकों को अच्छी किस्म का कोयला सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। यह अक्तूबर 2013 के बाद से प्रचालनात्मक हो गया है। कोयला विनियामक प्राधिकार बिल दिसंबर 2013 में संसद में लाया गया ताकि एक स्वतंत्र कोयला क्षेत्र नियामक बने, जो कोयले के मूल्य को निर्धारण कर सके और सभी मुद्दों को सुलझा सके।

जहां तक गैस की आपूर्ति का संबंध है, ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में सीसीईए के विचार केलिए मसौदा नोट प्रचालित किया है, जिसमें घरेलू गैस की कीमत को 4.2 डालर से 8 डालर प्रति एमएमएससीएमडी की अपेक्षित वृद्धि के हाल ही के निर्णय के संबंध में वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है ताकि बढ़े हुए मूल्य पर भी ऊर्जा परियोजना को तर्कसंगत बनाया जा सके।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण अनुमति प्रक्रिया का तेजी से निष्पादन शुरू कर चुका है और फरवरी 2014 तक पिछली परियोजनाओं को अनुमति मिलने के लक्ष्यके लिए मंत्रालय से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। पुन: विनिवेश संसदीय समिति (सीसीआई) ने लंबे समय से अनुमति मिलने की प्रतीक्षा में लगभग 2,000 मेगा वाट की 3 जल विद्युत परियोजनाओं

को हाल ही में अनुमति प्रदान कर दी है। साथ ही, सीसीआई ने झारखंड को परियोजना के लिए अधिगृहीत की गई वन्य भूमि के नुकसान की प्रितपूर्ति के एवज़ में गैर-वन्य भूमि देने से छूट प्रदान कर दी है।

राज्यों के लिए एफआरपी के लाभ की प्राप्ति के शुरू होने, कोल इंडिया से ईंधन की आपूर्त के मुद्दों के हल निकलने, हाल की पर्यावरणीय अनुमति मिलने, जो वितरण सुधार योजनाओं जैसे आर-एपीडीआरपी, एनईएफ के साथ आया है और राज्यों द्वारा नियमित रूप से टैरिफ में संशोधन करने से, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ऊर्जा क्षेत्र की स्थिति में निरंतर सुधार होगा।

मुझे आप सभी से यही सब कहना था। मुझे आपके द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देकर प्रसन्नता होगी। धन्यवाद।

परिनियामक: बहुत धन्यवाद। अब हम लोग प्रश्नोत्तर सत्र शुरू करेंगे। पहला प्रश्न एडेलवेइस के कुणाल शाह की लाइन से आया है। कृपया अपना प्रश्न पूछें।

कुणाल शाह: इतना अच्छा ब्योरा देने के लिए धन्यवाद। महोदय, जैसा हमें ज्ञात हुआ है, इस तिमाही में भी अपने तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को लगभग 4,300 करोड़ रुपए का संक्रमणकालीन वित्त संस्वीकृत किया है। महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि वहां एफआरपी है और बैंक भी उनके एसईबी को उधार देने पर

सहमत थे, इसलिए इनके डिस्कॉम को और संक्रमणकालीन वित्त संस्वीकृत करने के कारण की क्या आवश्यकता थी?

आर. नागराजन: नमस्कार, कुणाल। तमिलनाडु के मामले में, योजना के अनुसार किसी तरह से हो चुके नुकसान या संभावित नुकसान की वित्त व्यवस्था बैंकों और संस्थानों या राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इस तरह, इस मामले में राज्य सरकार ने निधि देने के बदले, गारंटी दे दी और तब पावर फाइनैंस कॉरपोरेशन को वास्तविक हानि के लिए कर्ज की संस्वीकृति के लिए आग्रह किया गया। इसलिए हमने कर्ज की संस्वीकृति दी और राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी भी हमें पूंजी पर्याप्तता अनुपात के सुधार में मदद कर रही है। उत्तर प्रदेश के मामले में इलाहाबाद बैंक और विजया बैंक के पास अत्यधिक आरक्षित निधि है और यह नुकसान की निधि की भरपाई के लिए किसी तरह के कर्ज की संस्वीकृति में सक्षम नहीं है। इसलिए, उत्तर प्रदेश ने हमें संस्वीकृति के लिए कहा और हमने इलाहाबाद बैंक तथा विजया बैंक से यह कार्य ले लिया है। यही कारण है कि संक्रमणकालीन निधि से तमिलनाड और उत्तर प्रदेश दोनों को 4,381 करोड़ रुपए दिए गए।

कुणाल शाह: यह कि क्या उत्तर प्रदेश भी राज्य सरकार से गारंटी प्राप्त है या राज्य सरकार से नहीं है?

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

सम्मेलन के आह्वान की प्रतिलिपि

5 फरवरी, 2014

आर नागराजन: राज्य सरकार की गारंटी के बिना पावर फाइनैंस कॉरपोरेशन द्वारा कोई ऋण नहीं दिया जाता। इसलिए, इन दोनों ऋणों को सरकार की गारंटी प्राप्त है।

एम.के. गोयल: उत्तर प्रदेश के मामले में, यद्यपि हमने बांड जारी किया है, जिसे लेने को बैंक इच्छुक नहीं थे। ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की गई थी।

कुणाल शाह: इसलिए इनमें से किसी पर कोई रहस्यत नहीं है?

एम.के. गोयल: पूर्णतया, नहीं।

कुणाल शाह: पुनर्संरचना पर भी, जिसे हमने तिमाही के दौरान किया है, पुनर्संरचना से हमने क्या किसी तरह का रहस्य रखा था?

आर.नागराजन: इस तिमाही में 1,500 करोड़ रुपए के करीब के ऋण के लिए इंडियाबुल्स रियलटेक की पुनर्संरचना कमीशन होने की तारीख के स्थगित होने और कोनासीमा की पुनर्संरचना के कारण की गई थी। 419 करोड़ रुपए के लगभग का ऋण दिया गया था क्योंकि यह एनपीए लेखा था और पुनर्संरचना सीडीआर पैकेज के अनुसार थी। पुन:, चूंकि कोनासीमा एनपीएहै, इसे पहले ही दे दिया गया। दोनों ऋणों की पुनर्संरचना के संबंध में, इंडियाबुल्स रियलटेक डीसीसीओ में देरी के कारण और कोनासीमा एनपीए है, इसलिए विश्लेषक परिमानक के अनुसार इस तिमाही में किसी तरह का पुनर्निर्धारण नहीं किया गया है।

कुणाल शाह: इसलिए समग्र पुनर्संरचनापूल अभी 13,300 करोड़ रुपए है, पुनर्संरचना से उन्नयन हुआ कुछ भी तो हमें क्या मिला?

आर. नागराजन: कमीशन की तारीख में परिवर्तन के कारण 11,540 करोड़ रुपए का पुनर्निर्धाण किया गया और कुछ नकदी प्रवाह की समस्या के कारण 1,8;4 करोड़ रुपए को पुनर्निर्धारित किया गया।

कुणाल शाह: बढ़े हुए पुनर्संरचना या किसी चूक के संबंध में समग्र दृष्टिकोण क्या है, जिस पर हम देख रहे हैं?

आर. नागराजन: हम भविष्य के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, इसलिए हम केवल31 दिसंबर, 2013 तक के बारे में बात कर रहे हैं।

कुणाल शाह: इसलिए हमने पिछली बार यह रेखांकित किया था कि लैंको कुछ परेशानी दे रहा है और इसकी निरंतर मॉनीटरिंग हो रही है?

आर.नागराजन: लैंको के मामले में, उन्हें पहले ही एपटेल से ऑर्डर प्राप्त हो चुका है, उन्हें करीब 200 करोड़ रुपए मार्च से पहले प्राप्त होंगे और उडुपी पावर के मामले में भी, उन्हें फरवरी 2014 से सीईआरसी से ऑर्डर प्राप्त होने की आशा है। इन दोनों मामलों में हम कुछ सकारात्मक विकास की उम्मीद कर सकते हैं।

एम.के. गोयल: ये अपने सभी आपूर्तिकर्ताओंऔर पावर फाइनैंस कॉरपोरेशन को भी भुगतान कर रहे हैं और लैंको समूह से संबंधित सभी ऋण मानक परिसंपत्तियां हैं।

कुणाल शाह: अंतिम प्रश्न, मैं अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए आरक्षिती के बारे में जानना चाहता हूं, वास्तव में यह एक तिमाही से दूसरी तिमाही में 2,000 करोड़ रुपए से घटकर 1,600 करोड़ रुपए तक नीचे आ गया है, इसलिए क्या इसकी उपयोगिता थी? यदि आप स्लाइड नंबर 16 को देखें, सितंबर 2013 में अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए आरक्षिती 2,004 करोड़ रुपए था।

आर. नागराजन: 31.12.2013 तक अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए आरक्षिती 1,630 करोड़ रुपए और 30.09.2013 तक यह 1,532 करोड़ रुपए था।

कुणाल शाह: क्योंकि यदि मैं तीसरी तिमाही से संबंधित पीपीटी देखता हूं, तो यह भी बढ़ रहा है।

आर. नागराजन: देखिए, यह बढ़ेगा। आप कुल संख्या और अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण के बारे में संभ्रमित हैं?

कुणाल शाह: कोई उपयोगिता नहीं है?

आर. नागराजन: अगर मैं उपयोग करता हूं, मुझे कर चुकाना होगा।

कुणाल शाह: बहुत-बहुत धन्यवाद, महोदय।

परिनियामक: धन्यवाद। अगला प्रश्न मैकरी सेक्युरिटी से पराग जरीवाला की लाइन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

पराग जरीवाला: क्या आप यह बता सकते हैं कि पिछली तिमाही में पुनर्संरचित परिसंपत्ति का परिसंचलन 115.4 बिलियन रुपए था, इससे क्या कमी हुई और क्या बढ़ोतरी हुई?

आर. नागराजन: इस तिमाही में, कोनासीमा को पुनर्संरचित परिसंपत्ति के रूप में शामिल किया गया है, जो पहले से ही एनपीए है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि डीसीसीओ में किसी तरह का बदलाव होता है, तो इसे पुनर्संरचना नहीं माना जाता। इसलिए इंडियाबुल्स के मामले में मई 2013 से मार्च 2015 के बीच परिवर्तन किया गया है, इसलिए 1,500 करोड़ रुपए की बकाया राशि पुनर्संरचित नहीं है, क्योंकि यह डीसीसीओ के बदलाव के कारण है।

पराग जरीवाला: महाशय, इस दौरान पहले मूल भुगतान की अभी तक शुरुआत नहीं हुई है।

आर. नागराजन: दूसरा लेखा कोनासीमा गैस एंड पावर का है, यह पहले से ही एनपीए लेखा है, हम सीडीआर के साथ संपर्क में हैं और हमने तीसरी तिमाही में लेखे की पुनर्संरचना की है।

पराग जरीवाला: ठीक है तो दिसंबर तक की बकाया पुनर्संरचित लेखा-बही क्या है?

आर. नागराजन: यह 31 दिसंबर, 2013 तक 1,804 करोड़ रुपए है।

पराग जरीवाला: विदेशी निर्यात उधार के मामले में कितना भाग छुपाया जाता है और कितना नहीं छुपाया जाता है?

आर. नागराजन: 83% खुला है और 17% छुपाया जाता है।

पराग जरीवाला: धन्यवाद।

परिनियामक: धन्यवाद। अगला प्रश्न बिरला सन लाइफ इंश्योरैंस से सुनील कुमार की लाइन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

सुनील कुमार: महोदय, पहली चीज मैं यह जानना चाहता हूं कि निजी पावर प्रोजेक्ट की कुल क्षमता क्या है और उसमें से कितनी पुनर्संरचित है?

आर. नागराजन: 31 दिसंबर, 2013 तक निजी क्षेत्र की कुल बकाया 26,314 करोड़ रुपए है, जिसमें से कमीशनिंग के बाद पुनर्संरचना 1,804 करोड़ रुपए है।

सुनील कुमार: इसमें से पुनर्संरचित परिसंपत्ति केवल 1,804 करोड़ रुपए है। तब 26,000 करोड़ रुपए में से भी पुनर्निर्धारण होगा, वह कितना होगा?

आर. नागराजन: इसे मैं दुबारा से बता रहा हूं एक बार बकाया हो जाने पर बकाये की अदायगी नहीं होने पर पुनर्भुगतान की तारीख के परिवर्तन को पुनर्संरचित माना जाता है, जो 1,804 करोड़ रुपए है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने हालिया दिशानिर्देश में यह बताया है कि परियोजना के कमीशन होने पर देरी में पुनर्भुगतान को रोके जाने को पुनर्संरचित नहीं माना जाता है।

सुनील कुमार: तो महोदय, वह पुनर्निर्धारण कितना होगा?

आर. नागराजन: लगभग 11,500 करोड़ रुपए, जहां पुनर्भुगतान का रुकना कमीशन में देरी के कारण है।

सुनील कुमार: और भी यह कि जैसा आपने शुरू में ही उद्धृत किया है, विद्युत अधिनियम के अनुसार सब्सिडी को ऊपरी शीर्ष के तौर पर भुगतान किया जाता है, तो हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में अभी आपका कुल आरक्षित कितना है?

आर. नागराजन: महाराष्ट्र के लिए ऋण का बकाया 24,378 करोड़ रुपए है, इसमें से राज्य के क्षेत्र में 18,982 करोड़ रुपए, निजी क्षेत्र को 4,674 करोड़ रुपए और संयुक्त क्षेत्र को 722 करोड़ रुपए है। तब हरियाणा का कुल बकाया 12,608 करोड़ रुपए है, इसमें से राज्य क्षेत्र में 6,806 करोड़ रुपए, निजी क्षेत्र में 455 करोड़ रुपए, संयुक्त क्षेत्र में 5,347 करोड़ रुपए है। दिल्ली में कुछ बकाया 11,415 करोड़ रुपए है, इसमें से केंद्रीय क्षेत्र में 9,594

करोड़ रुपए, निजी क्षेत्र में 8 करोड़ रुपए और राज्य क्षेत्र में 1,813 करोड़ रुपए है।

सुनील कुमार: तब ये कंपनियां यह कैसे कह रही हैं कि वे घाटे आदि में चल रही हैं और यदि सब्सिडी मिलती है या ऊपरी शीर्ष को अधिनियम के अनुसार मिलता है?

आर. नागराजन: दिल्ली में ये विनियामक परिसंपत्ति की बात कर रहे हैं।उन्हें उपभोक्ता से 15,000 करोड़ रुपए के स्तर तक रुपया नहीं मिला है। मैं सोचता हूं कि आपने आज के अखबार में देखा होगा। विनियामक परिसंपत्ति और कुछ नहीं शुल्क में बढ़ोतरी है, जिसे नियामक आयोग द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाती, जिसे एक समय अवधि तक वसूला जाना चाहिए। चूंकि वितरण कंपनियों को शुल्क के रूप में प्रतिपूर्ति नहीं होती, नियामकों को एजेंसियों से नियामक परिसंपत्ति प्राप्त होती है, साथ ही अंतरा-लेखा निधि प्राप्त करने की भी स्वीकृति दी जाती है जब ये नियामक परिसंपत्तियों की वसूली कर रहे होते हैं।

सुनील कुमार: तो अपने परिप्रेक्ष्य में क्या आपने एसईबी से भुगतान व्यवहार में कोई परिवर्तन देखा है?

एम.के. गोयल: हरियाणा ने समय पर सभी बकाये का भुगतान किया है। यहां से नियमित भुगतान आ रहा है।

परिनियामक: धन्यवाद। अगला प्रश्न एचडीएफसी म्युचुअल फंड से आनंद लड्ढा की लाइन से है।

आनंद लड्ढा: नमस्कार। क्या आप कुछ ब्योरा दे सकते हैं, यदि मैं पिछले नौ महीने की निजी क्षेत्र की संस्वीकृतियों को देखता हूं अंतिम तिमाही पूर्णत: ठीक है, इस तिमाही यह 3,473 करोड़ रुपए है, इसलिए यदि आप यह बताएं कि आपका सबसे बड़ा आरक्षित क्या है जिसे आपने संस्वीकृत किया है?

आर. नागराजन: यह सारा तथ्य हमारी प्रस्तुति में है, जिसे वेबसाइट पर स्लाइड नंबर 19 में अपलोड किया गया है। 9 महीने के दौरान वित्त वर्ष 2014 में, हमारी निजी क्षेत्र की संस्वीकृतियों में मुख्यत: जीवीके 2,500 करोड़ रुपए, जीवीके का अंडरराइटिंग हिस्सा 2,200 करोड़ रुपए, जय प्रकाश पावर वेंचर का वांगटू प्रोजेक्ट1,500 करोड़ रुपए और एसईपीसी पावर लिमिटेड के तूतिकोरिन टीपीपी का हिस्सा 1,500 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2014 की तीसरी तिमाही के दौरान, हमारी निजी क्षेत्र परियोजना की संस्वीकृति में मुख्यतया जयप्रकाश पावर वेंचर का 1,500 करोड़ रुपए, इंडियाबुल्स रियलटेक का 627 करोड़ रुपए और एनएसएल नागपतनम का 600 करोड़ रुपए शामिल है।

आनंद लड्ढा: महाशय, अगले वर्ष जैसे वित्त वर्ष 2015 के लिए हमारा वितरण लक्ष्य क्या है?

आर. नागराजन: हम इसके बारे में नहीं बता सकते क्योंकि समझौता ज्ञापन पर ऊर्जा मंत्रालय के साथ पावर फाइनैंस कॉरपोरेशन के हस्ताक्षर होने हैं, जो 31 मार्च, 2014 तक ही हस्ताक्षरित होगा,इसलिए हम इस पर 31 मार्च, 2014 के बाद ही विस्तार से बता पाने में सक्षम होंगे।

आनंद लड्ढा: महाशय, संक्रमणकालीन वित्त पर क्या आप हमें अपने द्वारा की गई कुल संस्तुतियों और वितरणों के बारे में बताएंगे?

आर. नागराजन: 31 दिसंबर, 2013 तक कुल संस्तुति 22,569 करोड़ रुपए और कुल वितरण 19,073 करोड़ रुपए है।

आनंद लड्ढा: मेरा प्रश्न पूरा हुआ। धन्यवाद महाशय।

परिनियामक: धन्यवाद। अगला प्रश्न एंटीक्यू से दिंगत हरिया की लाइन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

दिगांत हरिया: महोदय, मेरा प्रश्न प्रस्तुत: महाराष्ट्र में विशिष्ट मामले से संबंधित है, उदाहरण के लिए हमने देखा कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शुल्क में कटौती की घोषणा की कि उसका एक हिस्सा डिस्कॉम वहन करेगा,जो एमएसडीसीएल है, इसलिए इस मामले में स्पष्ट है कि एमएसडीसीएल के पास इस नुकसान को पूरा करने के लिए वस्तुत: पर्याप्त वित्तनहीं है, इसलिए कुछ ऐसा ही मामला दूसरे राज्यों में भी आ सकता है, जैसा आपने शुरू में उद्धृत किया है सब्सिडी ऊपरी शीर्ष (अपफ्रंट) भुगतान हो

जाता है, इसलिए आप इस तरह के गत्यावरोध के लिए क्या समधान ठीक समझते हैं?

एम.के. गोयल: हम नहीं सोचते कि कोई गत्यावरोध होगा। किसी मामले में, यदि राज्य उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी को सब्सिडी जारी रखता है और राज्य सरकार सब्सिडी का भुगतान नहीं करती, जैसा मैंने आपको बताया, उनका कोटि निर्धारण नीचे आ जाएगा और यह उनके आगे के विस्तार योजना को और बैंकों से उधारी को दुष्प्रभवित करेगा। मुझे विश्वास है कि कोई भी राज्य, विशेषकर महाराष्ट्र जैसा राज्य ऐसा करने की सोच सकता है। इसलिए इन्हें या तो उन्हें सब्सिडी टैरिफ में कमी करनी होगी या राज्य सरकार को ऊपरी शीर्ष सहायिकी (अपफ्रंट सब्सिडी) मुहैया कराकर भरपाई करनी होगी, यदि वे उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी को सहायिकी देना चाहते हैं।

दिगांत हरिया: लेकिन महाशय, एमएसईडीसीएल को जिस सीमा तक अपने हिस्से का भुगतान करना है, वे कैसे अपने हिस्से की निधि देंगे, क्योंकि समय समाप्ति पर बैंक या आप जैसा देनदार उन्हें सहायता देकर उबार लेगा।

एम.के. गोयल: मैं नहीं सोचा कि मूलत: यह कोई मुद्दा होगा क्योंकि उनका खाता साफ-सुथरा है और आपूर्ति की लागत और विद्युत लागत, जिसकी उन्हें आपूर्ति करने की जरूरत है, सबको मालूम है।

दिगांत हरिया: महाशय लेकिन माननीय मुख्य मंत्री ने वस्तुत: यह घोषणा की है कि एक हिस्सा एमएसईडीसीएल वहन करेगा और दूसरा हिस्सा सहायिकी से होगा, इसलिए हम उसे यहां से ले रहे हैं?

एम.के. गोयल: संक्षेप में, उपयोगिता और राज्य सरकार के बीच इसे हल किया जाना है और निश्चित ही उन्हें परस्पर सहमति के हल के साथ आना होगा, क्योंकि किसी को भी भुगतान करना ही है। यह डिस्कॉम हो सकता है या राज्य सरकार हो सकती है। इसलिए यह इन्हीं दोनों के बीच में निर्णय होना है, यदि वे निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं तो इससे डिस्कॉम दर निर्धारण दुष्प्रभावित होगा जिससे उनके विकास की गति में आगे गिरावट आएगी और बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से उधार मिलने में दिक्कत होगी, इस गत्यावरोध के साथ वे नहीं चल सकते और इसे हल करना होगा।

दिगांत हरिया: मैं आपके बिंदु को समझता हूंहूं, इस पर एक अंतिम प्रश्न है यदि कुछ ऐसा ही ऐसे राज्य में होता है, जहां एफआरपी चल रहा है तो यह स्पष्टतया अति व्यापन होगा, क्योंकि एफआरपी राज्यों के लिए निधि की व्यवस्था का पूर्णतया भिन्न तरीका होता है तो इसका क्या उपाय किया जाएगा?

एम.के. गोयल: इस पर मैंने आपको बताया कि एफआरपी के अंतर्गत किसी तरह का पैसा देने से पहले, राज्य सरकार को अपने वितरण उपयोगिता के लिए निर्धारित स्पष्ट दिशानिर्देश से सहमत होना पड़ता है। संक्रमणकालीन वित्त के अंतर्गत वितरण को इन

निर्धारित मानदंडों की प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। ऐसी बात नहींहै कि समूचा भुगतान अपफ्रंट किया जाता है ताकि आगे किसी तरह की सहायता या जो कुछ भी हो, पर रोक लगाई जा सके, लेकिन यह काल्पनिक प्रश्न है। वास्तव में, मैं उन राज्यों के लिए ऐसी किसी स्थिति का अनुमान नहीं लगाता, जो एफआरपी के अंतर्गत आते हैं क्योंकि वे आदर्श राज्य वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व विधेयक के सुधार से संबंधित से शर्तोंसे बंधे हुए हैं, जो राज्य सरकार के लिए दीर्घकालीन आधार पर इन राज्य डिस्कॉम के लिए वित्तीय व्यवस्था के कुछ क्रियाकलापों के लिए बाध्य करता है। इसलिए, मैं नहीं सोचता कि कोई राज्य उस स्थिति में जाना चाहेगा।

दिगांत हरिया: मेरा प्रश्न पूरा हुआ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

परिनियामक: आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न एलआईसी नोमुरा म्युचुअल फंड के रामनाथ वेंकटेश्वरन की लाइन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

रामनाथ वी.: महाशय मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि खास इंफ्रास्ट्रक्चर डेलवपर्स के मामले में उनके तुलन-पत्र का विस्तार करने पर, क्या आप उन्हें कुछ पावर परिसंपत्तियों या परियोजनाओं को बेचने के लिए समझते हैं, जो उनकी सक्षमता में सुधार ला सकती हैं?

एम.के. गोयल: हमारे पास मूल्य निरूपण का सुपरिभाषित और अति पारदर्शी निदर्श है, जिसे स्पष्ट रूप से दो हिस्सों, परियोजना मूल्य निरूपण और सर्वांगीण मूल्य निरूपण के रूप में परिभाषित किया गया है और पुन: दोनों क्षेत्रों में गुणात्मक मापदंड तथा मात्रात्मक मापदंड होता है। गुणात्मक मापदंड, इक्विटी जुटाने की उनकी क्षमता और परियोजना को पूरा करने में तथा पूर्व की परियोजना को पूरा करने की उनकी तकनीकी क्षमता है। यह मानक मूल्यवान आदर्श निदर्श है और उन मानक मूल्यों पर आधारित मूल्य निरूपण प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक मापदंड के लिए अंक निर्दिष्ट होताहै और यह संकुल माप है, जो परियोजना के मामले में उसके अंक पर विचार करता है, परियोजना मूल्य निरूपण के साथ सर्वांगीण मूल्य निरूपण में एकीकृत कोटि निर्धारण किया जाता है, और उसी मूल्य निर्धारण पर हमारी उधार देनदारी, उधारी की दर और प्रतिभूति आधारित होती है, और यह सभी इसके बाद इस तरह से निर्णय किया जाता है कि यदि कोई भी इस तुलन-पत्र में परिवर्तन करके किसी खास परियोजना की खास श्रेणी को निधि देना चाहता है तो यह मूल्य निरूपण प्रक्रिया के दौरान पकड़ में आ जाएगा और इसे अतिरिक्त प्रतिभूति इत्यादि के द्वारा मूल्य निरूपण प्रक्रिया के दौरान पर्याप्तत: देख लिया जाएगा।

रामनाथ वी.: बिंदु यह है कि हम सभी जानते हैं कि कुछ डेवलपर्स, जिन्हें नकदी प्रवाह के बहुत से मुद्दों को झेलना होता है, जैसा हम पाते हैं और मैं इसे उधार देने वाले के नजरिये से यह

समझाता हूं कि क्या हम ऐसे में उन्हें कुछ परिसंपत्तियों को बेचने के लिए कहते हैं?

एम.के. गोयल: हम डेवलपर के व्यवसाय पक्ष में दखल नहीं देते। हम यह देखते हैं कि वे क्या देते हैं और उनकी क्षमता के अनुसार सकल परिणाम और नकदी शेष तथा सभी बातों पर ध्यान देते हैं। हम उन्हें व्यवसाय संभावना और व्यवसाय प्रचालन के बारे में राय नहीं देते।

रामनाथ वी.: बहुत-बहुत धन्यवाद।

परिनियामक: धन्यवाद। अगला प्रश्न सीआईएमबी के उमंग शाह की लाइन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

उमंग शाह: नमस्कार महोदय। मेरे प्रश्न को शामिल करने के लिए धन्यवाद। मेरे पास दो प्रश्न हैं, एक डेटा के बिंदु से है, जिसे मैं नहीं सुन पाया, विदेशी मुद्रा उधार में से कितना नहीं छुपाया जाता है?

आर. नागराजन: 83% खुला होता है।

उमंग शाह: 83% नहीं छुपाया जाता है। दूसरी चीज़ हमारी प्रस्तुति में, जहां हम श्रेणी । पूंजी, जो 17.06% है, रिपोर्ट करते हैं, क्या इसमें अशोध्य और संदिग्ध ऋण भी शामिल हैं?

आर. नागराजन: नहीं,यह श्रेणी ।। का हिस्सा है।

उमंग शाह: महाशय 1.81% श्रेणी ।। पूंजी। यह इसमें शामिल है और अंकित मूल्य में अशोध्य और संदिग्ध ऋण के भंडार शामिल नहीं हैं और भविष्य में जरूरत पड़ने पर हम इस भंडार का उपयोग किसी परिसंपत्ति को बट्टे खाते में डालने के लिए कर सकते हैं?

आर. नागराजन: हां, इसका यही उद्देश्य है।

उमंग शाह: धन्यवाद।

परिनियामक: धन्यवाद। अगला प्रश्न गोल्डमैन सैशे से राहुल जैन की लाइन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

राहुल जैन: नमस्कार। मुझे इस पुर्नसंरचित संख्या पर कुछ स्पष्टीकरण चाहिए, इसलिए 31 दिसंबर, 2013 तक बकाया पुनर्संरचित पूल क्या है?

आर. नागराजन: मैंने आपको बताया था, 1,804 करोड़ रुपए।

राहुल जैन: अंतिम तिमाही में यह 11,000 करोड़ रुपए या कुछ था?

आर. नागराजन: राहुल, दो स्पष्टीकरण हैं। एक यह कि प्रवर्तन के स्थगित होने से चुकौती का स्थगित होना। यह पुनर्संरचना नहीं है। इसलिए वह लगभग 11,500 करोड़ रुपए है। दूसरे प्रकार की पुनर्संरचना वह है, जहां पुनर्भुगतान शुरू हो चुका है और इस अवधि में नकदी के प्रवाह की समस्या है, वह 1,804 करोड़ रुपए है।

राहुल जैन: इस 1,804 करोड़ रुपए में कितना एनपीए होगा, पहले से ही कोनासीमा इस 1,804 करोड़ रुपए में शामिल होगा?

आर. नागराजन: कोनासीमा और एम्पी पावर कंपनी दो एनपीए लेखा हैं।

राहुल जैन: यह कुल लगभग 1,000 करोड़ रुपए है, यदि मैं गलती पर नहीं हूं तो?

आर. नागराजन: कोनासीमा 419 करोड़ रुपए और एम्पी पावर 27 करोड़ रुपए का है।

राहुल जैन: भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह अनंतिम जरूरत पर दिशनिर्देश तय किए हैं?

आर. नागराजन: सबसे पहले यदि आप जुलाई 2013 के मुख्य परिपत्र को देखेंगे, जहां पैरा (3)(iv) कहता है कि पैराग्राफ 19 के प्रावधानों के अतिरिक्त दिशानिर्देश गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनीको सरकारी कंपनी के रूप में लागू नहीं होता, जैसाकि कंपनी अधिनियम की धारा 617 में परिभाषित किया गया है चूंकि यह सार्वजनिक जमा को स्वीकारने/रखने का कार्य नहीं करता। अब दिनांक 23 जनवरी, 2014 का भारतीय रिजर्व बैंक का परिपत्र कहता है कि शक्तियों के प्रयोग में दिशानिर्देश में निम्नलिखित संशोधन तत्काल प्रभाव से किया जाएगा, नामत: पैराग्राफ 23 का संशोधन उप पैराग्राफ 1 से 11 को हटा दिया गया है, और नया पैराग्राफ 23क इसमें शामिल किया जाएगा, जिसे अग्रिम की

पुनर्संरचना का प्रतिमानक कहा जाएगा। इसलिए यह दिशानिर्देश हमारे ऊपर लागू नहीं है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने हमेंअगस्त 2013 में एक पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि वे पुनर्संरचना, पुनर्निर्धारण और दुबारा से समझौता प्रतिमानक को वापस लेंगे, इसलिए हम इसपर भारतीय रिजर्व बैंक से उत्तर की उम्मीद कर रहे हैं।

राहुल जैन: वह हिस्सा मैं समझ गया, लेकिन यदि मान लें कि भारतीय रिजर्व बैंक यह हमारे ऊपर भी अधिरोपित करता है और तब हमारी देनदारी की गणना ..... होगी?

आर. नागराजन: यह 1,804 करोड़ रुपए होगा।

राहुल जैन: उसका हिस्सा पहले ही से एनपीए है?

आर. नागराजन: यदि हम एकदम से ऐसा करते हैं, तो हम लगभग 1,400 करोड़ रुपए पर ऐसा कर सकते हैं। 2.75% के हिसाब से क्योंकि ये सभी 23 जनवरी, 2014 के बाद कोई पुनर्संरचना करते हैं तो वे सीधा 5% कहेंगे। यदि हम इसे 23 जनवरी, 2014 से पहले करते हैं तो यह 2.75% होगा। इसलिए यह लगभग 40 करोड़ रुपए होगा। हमें अपने द्वारा घोषित किए गए भारी लाभ के हिस्से का बकाया देना होगा, जैसा भारतीय रिजर्व बैंक कहता है।

राहुल जैन: यदि इज़ाजत हो तो केवल एक अंतिम प्रश्न है, कुल संस्वीकृति में से, जिसे हमने पिछली तिमाही में राज्य क्षेत्र में 19,000 करोड़ रुपए के मद से किया, इसमें कितना संक्रमणकालीन वित्त था, मुझे आपकी उल्लिखित संख्या के बारे में याद नहीं है?

आर. नागराजन: 4,300 करोड़ रुपए, तमिलनाडु के 2,800 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश के 1,500 करोड़ रुपए।

राहुल जैन: और कुछ जो आप आने वाली तिमाही में उम्मीद कर रहे हैं?

आर. नागराजन: हां, हमारे पास झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश से काम के आने की संभावना है जिससे हमें पूंजी पर्याप्तता में मदद मिलेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें राज्य सरकार की गारंटी की उम्मीद है। राज्य सरकार की गारंटी पर ऋण पर जोखिम भार केवल 20% है, जो पूंजी प्रभावन क्षमता और हमारी लाभप्रदता को सुधारने में भी सहायक होगा।

राहुल जैन: इस पर आप कितना ब्याज देते रहे हैं?

आर. नागराजन: बैंक मासिक आधार पर 13.50% ले रहा है। हम तिमाही आधार पर लगभग 12.25% ले रहे हैं। इसलिए हम अभी भी सहायता दे रहे हैं।

राहुल जैन: लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आप बैंक से कम क्यों ले रहे हैं?

आर. नागराजन: हमने उन्हीं के लिए बनाए गए हैं। बैंक उनके लिए नहीं बनाए गए हैं।

राहुल जैन: महाशय आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

परिनियामक: धन्यवाद। अगला प्रश्न ड्यूश इक्विटी से अभिषेक पुरी की लाइन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

अभिषेक पुरी: कुछ जोड़े सवाल हैं। पहला राज्य डिस्कॉम उत्तरदायित्व विधेयक है और यह अधिनियम नहीं है, यदि मैं इसे सही मानता हूं तो क्या राज्यों के लिए इसे अनिवार्यत लागू करना है?

एम.के. गोयल: वे राज्य, जो एफआरपी पैकेज प्राप्त कर रहे हैं, सुधार की शर्तों के हिस्से के रूप में उन राज्यों द्वारा राज्य वितरण प्रबंधन दायित्व विधेयक को लागू करना अनिवार्य है।

आर. नागराजन: यदि हम 5 अक्तूबर, 2012 के परिपत्र को देखें, उन्होंने स्पष्ट रूप से उस परिपत्र में उल्लेख किया है कि ऊर्जा मंत्रालय इस परिपत्र के एक वर्ष के भीतर आदर्श उत्तरदायित्व विधेयक लाने के लिए दिशानिर्देश लाएगा और वह 5 सितंबर, 2013 को होगा।

अभिषेक पुरी: दूसरा एफआरपी में टैरिफ के अंतर को तीन वर्ष के समय के भीतर शून्य पर लाने की शर्त है, तो वर्तमान परिद्रश्य में कर्ज कैसे, जहां राज्य सहायिकी बढ़ रही है?

आर. नागराजन: 2012-2013 में 29 राज्यों में से 28 राज्यों ने अपने टैरिफ में वृद्धिकी और 2013-14 में 26 राज्यों ने टैरिफ आदेश जारी किया। आप सभी जानते हैं कि चुनाव मई, 2014 में होना है, इसलिए सभी मई के चुनाव के बाद टैरिफ में संशोधन करेंगे। तथापि, जैसा आप जानते हैं, सभी एफआरपी राज्यों में मॉनिटर करने के लिए समिति बनाई गई है यथा राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति और केंद्रीय स्तर की मॉनीटरिंग समिति। राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति मुख्य सचिव द्वारा बनाई जाती है और केंद्रीय स्तर की मॉनीटरिंग समिति सदस्य (ऊर्जा), योजना आयोग द्वारा बनाई जाती है। इस समिति की बैठक परसों दिल्ली में होगी और उसमें सभी चार राज्यों तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में एफआरपी की कैसी प्रगति चल रही है, की मॉनीटरिंग होगी। इसकी कैसी प्रगति है, उन्हें किन शर्तों का अनुपालन करना है, आबंटन क्या है। समीक्षा बैठक में ऊर्जा सचिव होंगे, पावर फाइनैंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी अथॉरिटी भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा, एफआरपी की शर्तों के अनुसार बोर्ड ऑफ डिस्कॉम में देनदारों का नामित निदेशक होगा, अभी हमारे पास तीन डिस्कॉम के

बोर्ड में दावेदारों के नामित निदेशक हैं और हमारे सदस्यों में से एक हरियाणा डिस्कॉम बोर्ड में है। इसलिए इन डिस्कॉम के बोर्ड में बैठने वाला देनदार का नामित देनदारों के हितों का ध्यान रखेगा। इसलिए मॉनीटरन प्रणाली बनाई गई है ताकि जैसा आप कह रहे हैं, समय के साथ एसीएस और एआरआर अंतराल में कमी होगी।

अभिषेक पुरी: मेरा अंतिम प्रश्न स्लाइड नंबर 9 पर है। मेरा अनुमान है कि आपने करचम वांगटू को अतिरिक्त कर्ज का 1,500 करोड़ रुपए दिया है, जो पहले से ही चालू हालत में है?

आर. नागराजन: वास्तव में एक चालू हालत में परियोजना है, तब भी निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। हमने दस्तावेज़ों पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। एक बार इस पर हस्ताक्षर हो जाएं, तब हम कर्ज दे सकते हैं। अभी हमें कर्ज के वितरण के उद्देश्य से सहमतिपत्र पर हस्ताक्षर करने है, इसलिए उन्हें पूर्व-प्रतिबद्धता शर्तों का अनुपालन करना है। तभी हम दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करेंगे। जब वे वितरण-पूर्व शर्तों का अनुपालन करेंगे, तभी हम वितरण करेंगे। इसलिए अभी केवल संस्वीकृति दी गई है और आज की तारीख तक कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है।

अभिषेक पुरी: इसलिए आपके कहने का आशय यह हुआ कि उन्होंने पहले ही इक्विटी का विनिवेश किया है और इसे अब कर्ज में बदला जाना है?

आर. नागराजन: करचम बांगटू के मामले में यह एक पहले से चालू हालत की परियोजना है। यह केवल ऋण का पुनर्वित्तीयकरण है, इसलिए वे अब कुछ देनदारों को भुगतान करेंगे और हम दूसरे देनदारों से वह कर्ज लेंगे। वे उधार की लागत को बैंकों के बदले संस्थानों से लेकर कम करना चाहते हैं।

अभिषेक पुरी: यदि मैं जानना चाहता हूं तो ऋण की लागत क्या होगी?

आर. नागराजन: उनके लिए हमारी ब्याज दर कम से कम 12.5% तिमाही आधार पर होगी।

अभिषेक पुरी: धन्यवाद महाशय।

परिनियामक: धन्यवाद। अगला प्रश्न इक्विरस सेक्युरिटीज से देवांग मोदी की लाइन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

देवांग मोदी: संख्याओं के बेहतर सेट के लिए धन्यवाद। महाशय सर्वप्रथम हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि रुपया और मेगा वाट दोनों 2015-2016 से हमारे संविभाग का कितना हिस्सा चालू हो जाने की आशा है?

आर. नागराजन: मेगा वाट में वित्त वर्ष 2013-14 की शेष अवधि में कमीशनिंग 15,153 मेगा वाट, वित्त वर्ष 2014-15 में 24,558 मेगा वाट, वित्त वर्ष 2015-16 में 5,675 मेगा वाट और वित्त वर्ष 2016-17 में और उसके बाद 14,360 मेगा वाट है। बकाया

राशि के मामले में, जिसे जारी किया जाना है, वित्त वर्ष 2013-14 की शेष अवधि के लिए 21,389 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2014-15 में 42,716 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2015-16 में 6,718 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2016-17 और उसके बाद 4,864 करोड़ रुपए है।

देवांग मोदी: महोदय, निश्चित रूप से निजी क्षेत्र में केवल मेगावाट में यह हिस्सा क्या होगा?

आर. नागराजन: निजी क्षेत्र में वित्त वर्ष 2013-14 की शेष अवधि में मेगा वाट के तौर पर कमीशनिंग 11,723 करोड़ रुपए है, वित्त वर्ष 2014-15 में 13,796 मेगा वाट, वित्त वर्ष 2015-16 में 135 मेगा वाट और वित्त वर्ष 2016-17 में और उसके बाद 850 मेगा वाट है।

देवांग मोदी: यहां पर स्पष्ट रूप से यह 11,723 मेगा वाट बड़ी संख्या है, जिसे वित्त वर्ष 2013-14 में अभी कमीशन किया जाना है। आपको कुछ पुनर्संरचना और संभवत: विस्तार देखना होगा।

आर. नागराजन: डीसीसीओ स्थगनहो सकता है, पुनर्संरचना नहीं। कृपया पुनर्संरचना शब्द का प्रयोग न करें।

देवांग मोदी: मूलत: दूसरी बात है, आने वाले वर्ष में यह 13,796 मेगा वाट है। अभी भी वित्त वर्ष 2014 से अभी तक किसी भी तरह की कमी वित्त वर्ष 2015 के कमीशनिंग के हिस्से में नहीं आई है।

आर. नागराजन: हमारे पास संख्या नहीं है, लेकिन हां आपका प्रश्न मान्य है। एफएसए और अनुमति के हस्ताक्षर होने में देरी के कारण वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2014-15 में गिरावट की संभावना है।

देवांग मोदी: अंतत: समग्र शीर्ष पर हमारे संविभाग का कितना प्रतिशत चालू हालत में होगा और कितना प्रतिशत निर्माणाधीन?

आर. नागराजन: वास्तव में कमीशनिंग बकाया 46,984 करोड़ रुपए है, जो जनरेशन ऋण परिसंपत्तियों का लगभग 35%।

देवांग मोदी: संविभाग का 35% चालू हालत में है?

आर. नागराजन: जनरेशन परियोजना का बकाया कर्ज 1,36,570 करोड़ रुपए है, जिसमें कमीशन वाला 46,984 करोड़ रुपए है, अर्थात लगभग 35%।

देवांग मोदी: एक प्रश्न और इस विशेष तिमाही में हमने परस्पर समूह का विदेशी बाजार में अधिक जुटाव देखा है, इसलिए क्या इस तिमाही में एस्सार समूह से कोई चुकौती की गई है?

आर. नागराजन: एस्सार समूहकी पारेषण कंपनी और उत्पादन कंपनी यथा एस्सार मोहन को अक्तूबर का बकाया देना है। उन्होंने समूह के लिए उधार लिया होगा। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इसी परियोजना के उद्देश्य से उधार लिया होगा।

देवांग मोदी: अभी तक हमारे संविभाग में से किसी में पूर्व-भुगतान नहीं देखा गया है?

आर. नागराजन: दूसरी तिमाही में, जीएसईसीएल ने पूर्व भुगतान किया है, इस तिमाही में हमें डीवीसी से पूर्व भुगतान प्राप्त हुआ है।

देवांग मोदी: ठीक है, लेकिन इसी तरह की प्रवृत्ति निजी क्षेत्र में नहीं देखी गई है?

आर. नागराजन: निजी क्षेत्र में पूर्व-भुगतान की प्रवृत्ति नहीं है।

देवांग मोदी: बहुत-बहुत धन्यवा। मेरा प्रश्न खत्म हुआ।

परिनियामक: धन्यवाद। अगला प्रश्न नोमुरा से अनिरुद्ध गंगहर की लाइन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

अनिरुद्ध गंगहर: अवसर देने के लिए धन्यवाद। यूएमपीपी पर प्रकाश डालें, कुछ आईपीपी कह रहा है कि आरएफपी फाइल करने से पहले उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है, उस पर आपको क्या कहना है और क्या आप फरवरी के आखिरी की समय-सीमा में देरी का अनुमान लगा रहे हैं?

एम.के. गोयल: हमने कुछ ही दिन पूर्व एक सम्मेलन बुलाया था और सभी संबंधितों द्वारा उठाए गए मुद्दे प्रमुखतया पीपीए पर कुछ स्पष्टीकरण के लिए थे और उस पर हमने स्पष्टीकरण दे दिया था अन्य उठाए गए मुद्दों को भी सुलझाया गया था। लेकिन

बोलीदाताओं ने जमा करने की तारीख को थोड़ा आगे बढ़ाने का आग्रह किया, इस पर हम काम कर रहे हैं और इस पर विचार होगा तथा समय के साथ-साथ ऊर्जा मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करके निर्णय लिया जाएगा। हां, हमारे पास बोलीदाताओं से बोली में शामिल होने की तारीख को आगे बढ़ाने का आग्रह आया है और हम उस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मुद्दों का संबंध है, हमने अधिकतम मुद्दों के बारे में बता दिया है और हम इस पर औपचारिक रूप से भी जवाब देंगे।

अनिरुद्ध गंगहर: धन्यवाद। सिर्फ एक स्पष्टीकरण जैसा अपने पहले उल्लेख किया कि ऊपरी शीर्ष सहायिकी सभी तीनों राज्यों को दिया गया है, जिन्होंने टैरिफ कटौती की घोषणा की है तथा यह सही है महोदय।

एम.के. गोयल: राज्य अधिनियम के अनुसार ऊपरी शीर्ष सहायिकी का भुगतान करते हैं और यदि वे उपभोक्ताओं की कुछ खास श्रेणियों को सहायिकी देने की घोषणा करते हैं, तो वे सहायिकी ऊपरी शीर्ष देने को स्वतंत्र हैं।

अनिरुद्ध गंगहर: हरियाणा में जैसाकि आपने उल्लेख किया है कि वे एफआरपी से जुड़े हैं। वित्तवर्ष 2015 में टैरिफ में वृद्धि के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है और उल्टे कटौती की है, इसलिए क्या मेरी जानकारी ठीक है या मैं कुछ भूल रहा हूं, महोदय?

एम.के. गोयल: वित्त वर्ष2014 के लिए उन्होंने टैरिफ में संशोधन की घोषणा की और वित्त वर्ष 2015 के लिए उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है, लेकिन उसका वहां डिस्कॉम पर जो भी वित्तीयअसर पड़ेगा, उस सीमा तक राज्यों को ऊपरी शीर्ष सहायिकी देनी होगी।

परिनियामक: धन्यवाद। अनुवर्ती अंतिम प्रश्न एलआईसी नोमुरा म्युचुअल फंड से रामनाथ वेंकटेश्वरन की लाइन से है। कृपया प्रश्न पूछें।

रामनाथ वी.: एक छोटा सा डेटा बिंदु। आपने अपनी शुरुआती टिप्पणी में कहा कि चार राज्यों तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए नुकसान के बारे में आपने एक संख्या उद्धृत की, जितनी कमी आई है, तो क्या आप उसे मेरे लिए पुन: बताएंगे?

एम.के. गोयल: नकदी नुकसान 64% से घटकर 42% हो गया है।

रामनाथ वी.: यह वित्त वर्ष 2013 की तुलना में वित्त वर्ष 2014 के लिए ही है न?

एम.के. गोयल: वित्त वर्ष 2012 में।

रामनाथ वी.: यदि मैं गलती पर नहीं हूं, तो इन कंपनियों का नुकसान 60,000 करोड़ रुपए था, और आप कह रहे हैं कि यह करीब 50% कम हो गया, यह लगभग 30% कम हो गया है?

एम.के. गोयल: उनके नुकसानों का आकलन है। तमिलनाडु के लिए 2,887 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश के लिए 9,899 करोड़ रुपए, राजस्थान के लिए 13,205 करोड़ रुपए और हरियाणा के लिए 2,018 करोड़ रुपए।

रामनाथ वी.: यह वित्त वर्ष 2012 का है ठीक है न? आप ऐसा कह रहे हैं कि ये कम हुए हैं?

एम.के. गोयल: वित्त वर्ष2012 के स्तर पर, नुकसान 64% से घटकर 42% हो गया है।

रामनाथ वी.: बहुत-बहुत धन्यवाद।

परिनियामक: धन्यवाद। देवियो और सज्जनो, समय की कमी के कारण यह प्रश्न अंतिम था, अब मैं श्री कैतव शाह को समापन टिप्पणी के लिए फ्लोर पर बुलाना चाहूंगा।

कैतव शाह: मैं सभी सहभागियों और प्रबंधन को हर व्यक्ति के प्रश्न का समाधान करने के लिए समय निकालकर यहां आने के लिए धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद महोदय।

परिनियामक: धन्यवाद। आनंद राठी रिसर्च की ओर से यह सम्मेलन अब समाप्त होता है। शामिल होने के लिए धन्यवाद। अब आप लाइन को काट सकते हैं।

नोट: इस दस्तावेज की पठनीयता और उपयुक्तता में सुधार के लिए इसे संपादित किया गया।